कार्यालय
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0
धन्वन्तरि भवन ,7 लालबाग लखनऊ

संख्या 553 / बोर्ड–मान्यता–2020–21 / 2020 लखनऊ दिनांक 4-8-2020

कार्यालय ज्ञाप

संकाय की बैठक दिनांक 23–07–2020 में संकाय द्वारा कोविड–19, महामारी के दृष्टिगत बोर्ड से यह संस्तुति की गयी कि **बोर्ड से सत्र 2018–19 एवं सत्र 2019–20 में मान्यता प्राप्त अनुचिकित्सीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबन्धक / सचिव द्वारा रू0 100–00 के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करते हुए संस्थाओ की मान्यता एक वर्ष के लिए (सत्र 2020–21 एक वर्ष) बढा दी जाये कि "उनका प्रशिक्षण केन्द्र बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी मानक पूर्ण करते हैं यदि उनके प्रशिक्षण केन्द्र के विरूद्व किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत / मानक पूर्ण न करने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी संस्था का पैनल निरीक्षण कराते हुए सत्र 2020–21 की मान्यता के सम्बन्ध में पुनः विचार संकाय / बोर्ड द्वारा किया जा सकता है ।"**

02–संकाय द्वारा बोर्ड से यह भी संस्तुति की जाती है कि जब भी सामान्य परिस्थितियॉ हो , संकाय के समक्ष उक्त संस्थाओं के पैनल निरीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

03– संकाय की बैठक दिनांक 23–07–2020 में संकाय द्वारा सत्र 2018–19 एवं सत्र 2019–20 में बोर्ड से मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक /यूनानी फार्मेसिस्ट एवं उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रो को वर्तमान सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुति को बोर्ड द्वारा यथावत स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकाय / बोर्ड द्वारा पारित उपरोक्त प्रस्ताव के अनुपालन में सत्र 2018–19 में (अग्रिम आदेशों तक मान्यता प्राप्त) एवं सत्र 2019–20 में (एक वर्ष हेतु)बोर्ड से मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक /यूनानी फार्मेसिस्ट एवं उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रो के प्रबन्धक / सचिव को यह निर्देशित किया जाता है कि संस्था की मान्यता **सत्र 2020–21 (एक वर्ष**) बढाये जाने के सम्बन्ध में उक्त आशय का शपथ पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2020 तक बोर्ड की ई–मेल आई डी bimupup@ g mail.com के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि उनकी संस्था की मान्यता **सत्र 2020–21 (एक वर्ष**) बढाये जाने का पत्र निर्गत किया जा सके ।यदि किसी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रबन्धक / सचिव, द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में शपथ पत्र कार्यालय को प्रेषित नही किया जाता है,तो यह समझा जायेगा कि संस्था के प्रबन्धक / सचिव, सत्र 2020–21 हेतु मान्यता लेने के इच्छुक नही है तथा उनके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता सत्र 2020–21 हेतु स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(डा0अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार

संख्या / बोर्ड–मान्यता–2020–21 / 2020 लखनऊ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01– मा0 नियंत्रक महोदय, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्वति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
02– मा0 सदस्यगण आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्वति संकाय उ0प्र0 लखनऊ ।
03– बोर्ड द्वारा सत्र 2018–19 एवं सत्र 2019–20 में मान्यता प्राप्त सभी आयुर्वेदिक / यूनानी फार्मेसिस्ट, उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबन्धक / सचिव को ई–मेल के माध्यम से
04– एस0आर0नेट को बोर्ड की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(डा0अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार